हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-12-17	वकील वादी उपस्थित वास्ते बहस आइन्दा पत्रावली 22-12-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22-12-17	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 29-12-17 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
29-12-17	वकील वादी उपस्थित वास्ते बहस अन्तिम पत्रावली दिनांक 12-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12-1-18	पत्रावली पेश हुई ~~अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित~~ हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19-1-18 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
19-1-18	वकील वादी उपस्थित वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस वकील वादी पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से वाद वादी स्वीकार किया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया ~~पत्रावली~~ अन्तिम डिक्री निर्णय अनुसार जारी की गई पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, बून्दी

दावा सं. 25/दावा/17
दायरा दिनांक - 26/5/17

पीठासीन अधिकारी - गरिमा लाटा R.A.S.

उनवान

1. भवानीशंकर आयु 52 वर्ष आत्मज श्री कजोडीलाल जाति माली निवासी इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ हाल निवास कोटा सिटी बोरखेडा मण्डी के पास पाडा कृषि फार्म रोड के पास बोरखेडा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

2. सत्यनारायण आयु 48 वर्ष आत्मज श्री कजोडीलाल जाति माली निवासी तेजाजी के चौक के पास गांधीपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

बनाम — वादीगण

1. सोभागमल आयु 59 वर्ष आत्मज श्री कजोडीलाल जाति माली निवासी रामधन चौराहा के पास ए.सी.सी. क्वार्टर 305.88 लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

2. बनवारीलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री कजोडीलाल जाति माली निवासी तेजाजी के चौक के पास गांधीपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

3. श्रीमती कलावती आयु 50 वर्ष आत्मज श्री कजोडीलाल जाति माली पत्नि श्री रामप्रकाश सैनी जाति माली निवासी ए.सी.सी. कॉलोनी ए.सी.सी. क्वार्टर नम्बर B. क्लब के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

4. दुर्गाशंकर आयु 82 वर्ष आत्मज श्री बजरंग लाल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर पुरानी तहसील के पास इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

→ प्रतिवादीगण

वाद - घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 R.T.A. व धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 19.01.2018

वादीगण द्वारा वाद जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट व धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत पेश किया गया। वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है— खाता सं. 97 खसरा सं 753 रकबा 0.07 हे. जो मु. चाड ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। उक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम इन्द्रगढ़ जिला बून्दी सम्वत 2070-2073 संलग्न है। खाता सं. 96 खसरा सं. 746 रकबा 0.60 हे., खसरा सं. 750/2 रकबा 0.27 हे. खसरा सं. 751 रकबा 0.07 हे., खसरा सं. 752 रकबा 0.13 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 1.07 हे. स्थित है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगा. 4 के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ सम्वत 2070-2073 संलग्न है।

उक्त कृषि भूमियों के पूर्व खसरा नं. 265/404 रकबा 1 बीघा खसरा सं. 265/411 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख.सं. 265/412 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा सं. 265/409 मि. व 265/415 रकबा 1 बीघा खसरा सं. 265/413 505 व 265/413 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व 265/408 मिन रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व खसरा सं. 265/409 रकबा 11 बिस्वा थे। नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम इन्द्रगढ़ जिला बून्दी संलग्न है। वाद वर्णित आराजी पूर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगा 3 के पिता श्री कजोडीलाल पुत्र देवीलाल व प्रतिवादी सं. 4 दुर्गाशंकर पुत्र श्री बजरंगलाल जाति माली के नाम

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः...

दर्ज थी। श्री कजोड़ीलाल की मृत्यु पर जर्ये खाती नामा. सं. 3। दिनांक 25.06.1990 से पुत्रो, पुत्री व विधवा पत्नि बरजी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुए। बरजी बाई की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान व कायम मुकामान वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 है। कजोड़ीलाल के स्थान पर जर्ये खाती नामा. उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सोभागमल, बनवारी, पप्पू, लड्डूलाल पुत्र कजोड़ीलाल, कलावती पुत्री कजोड़ीलाल व बरजी बेवा कजोड़ी लाल के नाम दर्ज हुई है।

राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलती से मृतक कजोड़ी लाल के पुत्र वादी सं. 1 भवानीशंकर के स्थान पर "पप्पू" गलत रूप से नाम अंकित कर दिया व वादी सं. 2 सत्यनारायण के स्थान पर "लड्डूलाल" गलत रूप से अंकित कर दिया। जबकि वादी सं. 1 का सही नाम भवानीशंकर है, 'पप्पू' नही है तथा वादी सं. 2 का सही नाम सत्यनारायण है, 'लड्डूलाल' नही है। वादीगण दोनो मृतक कजोड़ीलाल के पुत्र है तथा प्रतिवादीगण 1 लगा 3 के सगे भाई है। वादीगण का सही नाम भवानीशंकर व सत्यनारायण है जो राशन कार्ड, वोटर आई डी., स्कूल सर्टीफिकेट, आधार कार्ड में दर्ज है। वादीगण का अन्य प्रतिवादीगण के साथ वाद ग्रस्त कृषि भूमियों पर अपने पिता की मृत्यु के बाद संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वाद ग्रस्त कृषि भूमियों मे वादीगण सही नाम अंकित करवाये। प्रतिवादी सं. 5 को कई बार राजस्व रिकार्ड मे नाम सही-दुरस्त करने बाबत निवेदन किया गया। प्रतिवादी सं. 5 ने कोई ध्यान नही दिया। वादीगण को मृतक बरजी बाई का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित करवाने तथा उसके हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगा 3 का नाम अंकित करावे। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद-

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः...

Scanned by CamScanner

वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित 'पप्पू' को विलोपित कर उसके स्थान पर भवानीशंकर का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। "लड्डूलाल" के स्थान पर 'सत्यनारायण' का नाम अंकित किया जावे। फर्जी बाई का नाम विलोपित कर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगा 3 का नाम खाता सं. 97 व 96 की जमाबंदी ग्राम इन्द्रगढ़ राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को अर्थ समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं 5 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण 1 लगा 4 ने जर्ये अधिवक्ता इकबालिया जवाब दावा पेश किया। साक्ष्य वादी में वादी PW1 भवानी-शंकर PW2 सत्यनारायण के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये बयान कराये गये। दस्तावेजी साक्ष्य आधार कार्ड, राशन कार्ड, सैकेण्डरी स्कूल राजस्थान बोर्ड की प्रति पेश की PW2 द्वारा। वादी द्वारा दावे के समर्थन मे जमांबदी सम्वत् 2070-2073 ग्राम इन्द्रगढ़ जो प्रदर्श सं. 1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 खाता सं. 97 जो प्रदर्श सं. 2, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041-2060 जो प्रदर्श सं. 3, नकल जमाबंदी ग्राम इन्द्रगढ़ सम्वत् 2046-2049 प्रदर्श सं. 4 है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र की छाया प्रतियां पेश की है। असल से मिलान किये गये जो प्रदर्श 5/1 से 10/1 डाले।

नियत पेशी पर वकील वादी द्वारा बहस की गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वाद पत्र का प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। कजोड़ीलाल के पुत्रों के नाम सोहनलाल, बनवारीलाल, भवानीशंकर व पुत्री का नाम कलावती है। सबसे छोटे पुत्र का नाम सत्यनारायण है। उक्त के अलावा स्वर्गीय कजोड़ी-लाल के अन्य कोई औलाद नहीं है। हमने अपने वादपत्र के समर्थन

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः—

Scanned by CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं। अतः प्रार्थना है कि हमारा वाद स्वीकार किया जावे। विवादित आराजी की जमाबंदी में अंकित 'पप्पू' के नाम को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर भवानीशंकर का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे और लड्डूलाल के स्थान पर सत्यनारायण का नाम अंकित किया जावे। लड्डूलाल का नाम विलोपित किया जाए। राजस्व रिकार्ड में बरजी बाई के नाम को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगा 3 का नाम खाता सं. 97 व 96 की जमाबंदी के राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे।

हमने विद्वान अभिवक्ता वादीगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 खाता सं. 96 व 97 में शोभागमल बनवारीलाल पप्पू लड्डूलाल पि. कजोड़ीलाल दर्ज है। प्रार्थी/वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य परिवार राशनकार्ड भवानीशंकर, पिता का नाम कजोड़ीलाल है। आधार कार्ड व निर्वाचन पहचान पत्र में भी भवानीशंकर व पिता का नाम कजोड़ीलाल दर्ज है, इसी प्रकार सत्यनारायण व पिता का नाम कजोड़ीलाल दर्ज है। पेश जवाबदावा में प्रतिवादीगण ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत साक्ष्य शपथ व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को वाद विषयक आराजी खाता सं. 97 व 96 ग्राम इन्द्रगढ़ में जमाबंदी में अंकित 'पप्पू' के नाम को विलोपित किया जावे उसके स्थान पर भवानीशंकर का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। 'लड्डूलाल' के नाम को विलोपित कर उसके स्थान पर सत्यनारायण का नाम अंकित किया जावे। बरजी बाई की मृत्यु शपथ पत्र व

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

Scanned by CamScanner

की जा चुकी है अतः अरजी वाई कबालिया जवाबदावा में स्वीकार वारिसान के पक्ष में दर्ज किया जा कौती नामान्तकरण नियमानुसार जावे। उ कानूनसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास सुश्री गरिमा लाटा आर.ए.एस.

1 भवानीशंकर पु. कजोड़ीलाल जाति माली निवासी इन्द्रगढ़ हाल निवासी मण्डी के पास बोरखेड़ा कोटा वगैरह बनाम 1 सोभागमल पु. कजोड़ीलाल जाति माली निवासी रामधन चौराहा ए.सी.सी. क्वाटर लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह

वादीगण

प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88, 89 R.T.A. व धारा 136 एल आर एक्ट

मुकदमा नम्बर 24/दावा/2017 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री बाबूलाल बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वाद विषयक आराजी खाता सं. 97 व 96 जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ में अंकित "पप्पू" के नाम को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर भवानीशंकर इसी प्रकार लड्डूलाल के नाम का विलोपित किया जाकर उसके स्थानपर सत्यनारायण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तथा बरजीबाई का फौती नामान्तकरण नियमानुसार वारिसान के पक्ष में दर्ज किया जावे।

निज............मुबलिग............बाबत............खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक............का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19-1-2018 माह............ सन............को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॅान		
5. खर्चा गवाहॅान			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

2. सत्यनारायण आत्मज कजोडीलाल जाति माली निवासी तेजाजी के गाधीपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

बनाम

वादीगण

2. बनवारीलाल आत्मज कजोडीलाल जाति माली निवासी रामघन चौराहा डेयम ए.सी.सी. क्वाटर लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़

3. श्रीमति कलावती आत्मज कजोडीलाल जाति माली निवासी ए.सी.सी. कॉलोनी कस्बे के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़

4. कृपाशंकर आत्मज बगरुलाल जाति माली निवासी पुरानी तहसील के पास इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner